



# नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५१) काठमाडौं, पुम ६ गते २०५८ साल (अतिरिक्ताङ्क ५७

## भाग ३

श्री ५ को सरकार

### उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ को सरकारले निकासी पैठारी नियमहरू, २०३४ को नियम ८ को उपनियम ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खण्ड ४२, संख्या ३३, २०४६ साल मंसीर १५ गतेको नेपाल राजपत्र माग ३ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचना २ को खण्ड (क) को उपखण्ड १ पछि देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छः—

“तर पैठारी भएको माल वस्तुबाट उत्पादित तयारी सामान निकासी हुनेको हकमा त्यस्ता तयारी माल वस्तुको किसिम, परिमाण र समयावधि समेत तोकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो दस्तूर छूट दिन सफ्नेछ ।”

आज्ञाले,

रामकृष्ण पन्त

श्री ५ को सरकारको निमित्त सचिव

मुद्रण विभाग, सिहबरबाट, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

# ରାଜବିଧି

ରାଜୀବିଧି ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ

୭୫ ହାଲମେଲିର ) ପାତ୍ର = ୨୦୨ ମୁଦ୍ରଣ, ଶିଳ୍ପିଳ ( ୧୯୫୩ )

କି = ମାତ୍ର କି = ୧୦୦ ମାତ୍ର ଗ୍ରାମ କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି  
କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି  
କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି  
କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି

କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି  
କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି  
କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି

କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି କିଅଛି

ଆଧିକାରିକତା ମୁଦ୍ରଣ ବିଭାଗବାଟୁ<sup>୧୯୫୦</sup> ପ୍ରମାଣିତ ଗରିଏପଛି ମାତ୍ର ଲାଗୁ ହୁନେଛା